| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 5/5/25 | पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 9/5/25 को पेश हो। | |
| 9/5/25 | पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित अधि० उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रा० पत्र एवं प्रा० पत्र के संलग्न वाबस्ता रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रा० पत्र प्रारम्भिक खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>[signature]<br>सहायक कलक्टर<br>उच्चैन (भरतपुर) | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 19 / 2024

1. हरीराम
2. मोहन
3. कन्हैया पुत्रान पतराम निवासी कुरका तहसील उच्चैन भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

वनाम

1. इन्द्रादेवी पत्नी बलवन्तसिंह
2. किशनसिंह पुत्र समन्दरसिंह
3. महेन्द्रसिंह पुत्र रणधीरसिंह
4. गुड्डीदेवी पत्नी पोखनसिंह
5. गंभीरसिंह पुत्र कमलसिंह
6. गोविन्दसिंह पुत्र रणधीरसिंह
7. दुलीचन्द पुत्र प्यारे
8. देवी पुत्र महेन्द्रसिंह
9. पूरन पुत्र प्यारे
10. भगतसिंह पुत्र कुलदीपसिंह
11. पूरन पुत्र रन्धीर
12. मायादेवी(मृतक) पत्नी रमेशचन्द

    12 / 1 डवली पुत्र रमेश

    12 / 2 भिक्कीराम पुत्र रमेश .समस्त निवासियान कुरकरा तहसील उच्चैन भरतपुर।

    12 / 3 सुमन पुत्री रमेश पत्नी फतेहसिंह निवासी नगला गंगा तहसील कुम्हेर भरतपुर।

    12 / 4 रेखादेवी पुत्री रमेश पत्नी योगेन्द्रसिंह निवासी सांतरूक तहसील कुम्हेर।
13. लीलमदेवी पत्नी पुष्पेन्द्रसिंह
14. लक्ष्मीदेवी पत्नी बाबूलाल
15. शान्तिदेवी पत्नी राजेन्द्रसिंह निवासीयान कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री गजेन्द्र पंचौली एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री घनश्याम धनकर एडवोकेट अप्रार्थीगण

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

निर्णय दिनांकः—09.04.2025

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2198 रकवा 0.87है0 बाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में हम प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 15 जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार एवं काश्तकार है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी में मौके पर काश्त कर रहे है। हम प्रार्थीगण के द्वारा अपने हिस्से की आराजी को खाद मिट्टी डालकर अधीक उपजाउ कर लिया है जिसके कारण अप्रार्थीगण के मन में वैमनस्यता पैदा हो गई है और अप्रार्थीगण हमारे हिस्से की आराजी को नाजायज रूप से हडपना चाहते है और हमको हमारे हिस्से की आराजी से बेदखल करने पर उतारू हो गये है। दिनांक 19.09.2023 को अप्रार्थीगण मौके पर आ गये एवं प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी दी जब प्रार्थीगण के द्वारा इसका विरोध किया तो अप्रार्थीगण मौके से चले गये। उक्त धमकी के कारण प्रार्थीगण के मन में भय पैदा हो गया जिसके कारण प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। दिनांक 06.02.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा0 6, 8 लगा0 11 एवं 13 लगा0 15 की ओर से श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट उपस्थित आये। अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधज्ञा के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील पेश की। न्यायायल श्रीमान भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के द्वारा दिनांक 07.11.2023 को जारी आदेश को अपास्त करते हुये प्रकरण को पुनः सुनबाई हेतु इस न्यायालय में प्रषित किया। प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सुनबाई हेतु दिनांक 06.05.2024 को उपस्थित आये। दिनांक 16.05.2024 को अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का सहखातेदार काबिज होना सही है लेकिन इस खसरा नम्बर में होकर बजानिव पश्चिम 15 फुट चौडा शामलाती रास्ता स्थित है। शेष आराजी पर सभी सहखातेदार मनबट से काविज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी पर सभी सहखातेदारो का कानूनन सम्मलित कब्जा काश्त है बिना विभाजन प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच भू भाग पर कब्जा होना माना जाता है इस प्रकार विवादित आराजी से प्रार्थीगण विभाजन से पूर्व विशेष भू भाग को अपना ही होना नहीं बता सकते है। उक्त विवादित आराजी के पश्चिम दिशा में मेडे के सहारे एक 15 फुट चौडा शामलाती रास्ता है जिसमे सभी पक्षकारान एवं ग्राम वासीयान का आवागमन रहता है इस रास्ते की भूमि को छोडकर शेष भूमि का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विभाजन होना चाहिये। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 12 की मृत्यु होने के कारण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 12 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी का

Bharti
सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

मौका रिपोर्ट एवं पैमाइश हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको अभिभापक अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 28.03.2025 को नोट प्रेस किया गया।

उभयपक्ष के विद्वारा अधिवक्तागण की वहस सुनी गई। अभिभापपक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है एवं मौके पर मनवट के हिसाव से सभी सहखातेदार काविज आराजी है। अप्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी को प्रार्थीगण के हिस्से से खरीद किया है। प्रार्थीगण उक्त आराजी का विभाजन करवाना चाहते है। मौके पर प्रार्थीगण की रिकार्ड से 1 वीघा जमीन कम वैठती है इसलिए जव तक कानूनन विभाजन नहीं होता तव तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निपेधज्ञा से पावंद फरमाया जावे। रास्ते के लिये अप्रार्थीगण को सिविल कोर्ट में दावा पेश करना चाहिए।

विद्वान अभिभापक अप्रार्थीगण के द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि उक्त विवादित आराजी का पुराना खसरा नम्वर 1578 था एवं पुराने समय से ही उक्त आराजी के पश्चिम कें एक 15 फीट का रास्ता स्थित है एवं इस तथ्यों को प्रार्थीगण के द्वारा वयनामा में स्वीकार किया गया हैं। प्रार्थी उक्त रास्ते को समाप्त करना चाहते है। प्रार्थीगण के द्वारा जव रास्ते को अवरूद्ध किया तो अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र 251ए तहसीलदार उच्चैन के समक्ष पेश किया एवं तहसीलदार उच्चैन के द्वारा आदेश दिनांक 01.10.2024 के द्वारा रास्ते को पूर्ण रूप से खुलवा दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान एडीम साहव भतपुर के यहां पेश की गई थी जिसको न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते वाले तथ्य को छुपाया गया है एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट 20.12.2023 में मौके पर रास्ता होना वताया गया है एवं पटवारी रिपोर्ट 13.10.2023 के अनुसार विवादित आराजी में आपसी सहमति से रास्ता होना वताया गया है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अभिभापक अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी वहस के दौरान निम्न न्यायिक दृप्टांत पेश किये है

1. 2023(2)डीएनजे (रवेन्यु)1426 लक्ष्मी चौधरी वनाम लादूराम
2. 2022 आरवीजे 25 परमवीर वनाम मान सिंह
3. आरआरटी 2014(1) जगदीश प्रसाद वनाम भोपाल राम
4. एआईआर 2008 सुप्रीम कोर्ट 1909 तनुश्री वसु वनाम इशानी प्रसाद वसु

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अभिभापकगण की वहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, प्रस्तुत न्यायिक दृप्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृप्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पप्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। जिसके कारण उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के हक निहित होना स्पप्ट है। प्रार्थीगण के द्वारा विवादित आराजी में सामुहिक रूप से मनवट के आधार पर काश्त किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में मजवूत प्रथमदृप्या विषयवस्तु/विवाद कारण उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार है।यदि विना बिभाजन कराये सहखातेदारों को अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद किया जाता हो तो अप्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पडने की प्रवल सम्भावना है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में झुकाव रखने के वारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी में रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है एवं उक्त आराजी को अप्रार्थीगण के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा प्रार्थीगण से खरीद किया है एवं वयनामा, मौका कमिश्नर रिपोर्ट एवं पटवारी रिपोर्ट आदि में उक्त आराजी के पश्चिम में मौके पर रास्ता होना स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुबिधा अधिक प्रतीत नहीं होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत बिषयबस्तु नहीं होने एवं प्राईमाफेसी केस, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**अतः आदेश हैः–**

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर